पंचायत आम निर्वाचन, 2026

अतिमहत्वपूर्ण

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या– प0नि0 30–13/2026.......... 1889

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक– 7.5.2026

विषय :– पंचायत आम निर्वाचन, 2026:–प्रपत्र–1 के प्रकाशन की अवधि में प्राप्त दावा/आपत्ति निष्पादन संबंधी दिशा–निर्देश का प्रेषण के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–1694, दिनांक–27.04.2026 एवं पत्रांक–1505, दिनांक–09.04.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक संबंध में कहना है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक–04.05.2026 को सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा पदवार प्रपत्र–1 का प्रकाशन विर्निदिष्ट स्थलों पर कर दिया गया है जिसके निमित्त दावा/आपत्ति दाखिल किये जाने एवं प्राप्त दावा/आपत्तियों के निष्पादन की अवधि क्रमशः दिनांक–18.05.2025 एवं दिनांक–22.05.2026 तक निर्धारित किया गया है।

आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त **दावा/आपत्ति के जांच हेतु** निम्नरूपेण प्राधिकृत पदाधिकारी नियुक्त किया गया हैः–

(I) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए–संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(II) जिला परिषद सदस्य के लिए–संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी।

उक्त प्रक्रिया में अपील का प्रावधान किया गया हैः–

(III) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकार–अनुमंडल पदाधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकार–जिला पदाधिकारी

(IV) जिला परिषद सदस्य पद के लिए अपीलीय प्राधिकारः–जिला पदाधिकारी

<u>प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन की प्रक्रिया निम्नरूपेण होगीः–</u>

प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति का ससमय जांचोपरान्त सुनवाई किया जाएगा एवं सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया जाएगा एवं आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से आपत्तिकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। **प्राप्त दावा/आपत्ति यदिः–**

(क) स्वीकृत किया जाता है, वैसी स्थिति में यथोचित कारण अंकित करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आदेश फलक तैयार जाएगा। प्रपत्र–1 के प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त दावा/आपत्ति एवं पारित आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिला पदाधिकारी प्राप्त आपत्ति एवं पारित आदेश की प्रति के गुण–दोष आदि की समीक्षा करते हुए उचित निर्णय लेगें। जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar@gmail.com

(ख) अस्वीकृत किया जाता है तो आदेश पारित किये जाने की तिथि से 03 दिनों तक, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष तथा जिला परिषद के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के समक्ष आपत्तिकर्ता द्वारा अपील वाद दायर किया जा सकता है।

(ग) यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दायर अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है वैसी स्थिति में कंडिका (क) की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

यदि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दायर अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है तो आपत्तिकर्ता आदेश पारित किये जाने की तिथि से 03 दिनों तक जिला पदाधिकारी के समक्ष **द्वितीय अपील** वाद दायर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश/निर्णय अंतिम होगा तथा आयोग के पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा।

द्वितीय अपील का प्रावधान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी (पंचायत) को मामले के संज्ञान में लाए जाने एवं अंतिम निर्णय जिये जाने के उद्देश्य से किया गया है।

(ग) दावा/आपत्ति अथवा अपील वाद की सुनवाई के क्रम में आपत्तिकर्ता को नोटिस का तामिला कराते हुए उसे अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा।

(घ) यदि पारित आदेश के विरूद्ध आपत्तिकर्ता द्वारा 03 दिनों के अन्दर अपील वाद दायर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आयोग के पोर्टल पर अपलोड करते हुए आपत्ति का निष्पादन कर दिया जाएगा।

(ड़) दावा/आपत्ति निष्पादन के क्रम में पारित आदेश एवं जिन साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किये गए है, को अनिवार्य रूप से आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने के 03 दिनों तक यदि आपत्तिकर्ता द्वारा अपील वाद दायर नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात दायर किये गए अपील पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारूप प्रपत्र–1 में संशोधन की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी (पंचायत) का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा।

अंतिम प्रकाशन क निर्धारित तिथि 15.06.2026 को पूर्व की भांति सभी संबंधित पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (प्रारूप में जिनका है) प्राप्त कर आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

निदेशानुसार प्रारूप प्रपत्र–1 के प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्तियों का निष्पादन एवं अंतिम प्रकाशन के संदर्भ में संशोधित कार्यक्रम विवरणी निम्नरूपेण है:–

(क) आपतियाँ दाखिल किये जाने की अवधि:–	18.05.2026 तक
(ख) आपत्तियों का निष्पादन:–	22.05.2026 तक
(ग) अपील वाद दायर करने की तिथि:–	आदेश पारित तिथि से 03 दिन तक
(घ) अपील वादों का निष्पादन :–	अपील करने की तिथि से 07 दिन तक
(ड़) प्रपत्र–1 का अंतिम प्रकाशन:–	15.06.2026
(च) प्रपत्र–1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन:–	20.06.2026
(छ) जिला गजट की प्रति आयोग को उपलब्ध कराया जाना:–	23.06.2026

प्रासंगिक पत्रों को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

सं0सं0–प0नि0 30–13/2026......1889

पटना दिनांक– 07.05.2026

प्रतिलिपिः–श्री राहुल गुप्ता, एस.ई.आर टीम, श्री आशीष गंगाडे, PMC VIGREOUS & Team एवं श्री नीतिश कुमार आई.टी. मैनेजर राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

सं0सं0–प0नि0 30–13/2026.........1889

पटना दिनांक– 07.05.2026

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

सं0सं0–प0नि0 30–13/2026.......1889

पटना दिनांक– 07.05.2026

प्रतिलिपिः–सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।